रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) राजस्थान में 1985-86 से 1987-88 के दौरान बिना चौकीदार वाले समपारों पर 8 गाड़ी दुर्घटनाएं हुई। इन दुर्घटनाओं में 8 व्यक्तियों की जानें गयीं। रेलवे सम्पत्ति को हुई क्षति की लागत का अनुमान 2000/- रु० लगाया गया है।

(ख) इस प्रकार की दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किये गये उपायों में से कुछ इस प्रकार है :—

(i) समाचार से कुछ दूरी पर सडक संकेतो/सी०टी० बोर्डों तथा रम्बल पट्टियों। गति अवरोधकों की व्यवस्था।

(ii) सड़क उपयोगकर्त्ताओं तथा गाड़ी ड्राइवरों के लिए समपारों पर दृश्यता बढ़ाना।

(iii) शैक्षिक अभियान।

(iv) ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने नवीकरण करने से पूर्व सड़क उपयोगकर्त्ताओं को शिक्षा देने के लिए राज्य सरकार का सहयोग प्राप्त करना।

(v) यातायात पुलिस सहित राज्य सरकार के कर्मचारियों के साथ संयुक्त रूप से घात लगाकर जांच करना।

देश में महिलाओं को विशेष सुरक्षा

1693. **श्री संतोष बागड़ोदिया** : क्या **मानव संसाधन विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में महिलाओं को बेचे जाने की घटनाओं में वृद्धि हुई है ;

(ख) किन-किन राज्यों में इन घटनाओं की संख्या में वद्धि हुई है ; और

(ग) राज्य सरकारों और केन्द्र सरकार द्वारा देश में महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए उठाये गये कदम का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में युवा कार्य और खेल तथा महिला और बाल विकास विभागों में राज्य मंत्री (श्रीमती मारग्रेट आल्वा) : (क) और (ख) अभी हाल में महिलाओं को बेचे जाने की घटनाओं में वृद्धि का कोई मामला सरकार के ध्यान में नहीं आया है।

(ग) 1978 और 1986 में यथा-संशोधित अनैतिक व्यापार (प्रतिशेध) अधिनियम 1956 सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को लागू है। अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ यह निषिद्ध है—

(1) वेश्यावृत्ति की कमाई पर गुजारा करना।

(2) वेश्यावृत्ति की खातिर महिलओं या लड़कियों को खरीदना, उन्हें बहलाना या ले जाना।

(3) किसी महिला या लड़की को ऐसे स्थानों पर रोके रखना जहां वेश्या-वृत्ति हो रही हो। अधिनियम में संरक्षण "गृहों" की स्थापना करने की भी व्यवस्था है, जिन में सुरक्षा और देखभाल की जरुरतमंद महिलाओं और लड़कियों को इस अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत रखा जा सकता है और यहां तकनीकी शिक्षा प्राप्त योग्य व्यति उपकरण और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हों। 1978 और 1986 में इस अधिनियम मे किए गए संशोधनों से इसमें अन्तर्हित दण्डात्मक उपबन्धों को अधिक कठोर और कारगर बनाया गया है। यह राज्य सरकारों और केन्द्र शासित प्रशासनों का कार्य है कि वे इस अधि-नियमों को सार्थक और कारगर ढंग से कार्यान्वित करें।

भूतपूर्व संसद सदस्यों को केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ

1694. **श्री संतोष बागड़ोदिया**: क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने भूतपूर्व संसद सदस्यों द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान करके केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ उठाया जा रहा है ;

(ख) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के कार्ड बनाते समय राज्य सभा के भतपूर्व संसद सदस्यों से अधिक राशि वसूल की जाती है जबकि लोक सभा के भूतपूर्व संसद सदस्यों से कम राशि ली जाती है ; यदि हां, तो इस भेदभाव के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सरकार का दोनों सभाओं के भूतपूर्व संसद सदस्यों से एक समान राशि लेने का प्रस्ताव है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा नागर विमानन मंत्री (श्री मोती लाल वोरा): (क) से (ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं पाने वाले भूतपूर्व संसद सदस्यों की सही संख्या उपलब्ध नहीं है क्योंकि केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं प्राप्त कर रहे संसद सदस्यों समेत पेंशन भोगियों के बारे में सूचना श्रेणीवार नहीं रखी जाती है । चूंकि भूतपूर्व संसद सदस्य भी वे सुविधाएं पाने के हकदार हैं जो मौजूदा संसद सदस्यों द्वारा प्राप्त की जा रही हैं, इसलिए लोक सभा और राज्य सभा सचिवालय वर्तमान संसद सदस्यों से जो निम्नलिखित अंशदान वसूल करती है वही अंशदान यह मंत्रालय भूतपूर्व संसद सदस्यों से भी वसूल कर रहा है :—

भूतपूर्व संसद सदस्य, लोक सभा 2.50 रुपये प्रतिमास

भूतपूर्व संसद सदस्य राज्य सभा 4 रुपये प्रतिमास

तथापि संसदीय कार्य मंत्रालय से वर्तमान संसद सदस्यों से समान अंशदान वसूल करने का अनुरोध किया गया है ।

Conversion of Tinsukia station as Model Railway Station

1695. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have taken a decision for converting Tinsukia Railway Station into a Model Railway Station; and

(b) if so, what is the total amount earmarked for this scheme, and by when the scheme is going to be implemented?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MADHAVRAO SCINDIA): (a) Yes, Sir.

(b) About Rs. 190.00 lakhs are likely to be spent on conversion of Tinsukia Station into a Model Station The scheme is likely to be completed by March, 1991, subject to availability of funds.

Problems faced by Public Sector Undertakings for transportation by Railways

1696. SHRIMATI BIJOYA CHAKRAVARTY: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the public sector enterprises like Messers Oil India, ONGC, Fertilizer Corporation of India, Coal India and major tea gardens earning valuable foreign exchange for the country have been facing acute problem in transportation of their finished products and raw materials, heavy machinery and equipment from ports and other major cities of India to their plants and *vice-versa* mainly due to single line metre gauge railway track in the areas of the above units; and

(b) if so, whether the Government propose to take up the extension works of broad gauge railway line from Guwahati to Upper Assam in view of national interest?